भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2493

09 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

प्रतिबंधित आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीजों का आयात

2493: श्री अजय कुमार मंडल:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रतिबंधित आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सैकड़ों टन प्रतिबंधित आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीज खेती के लिए आयात किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): प्रतिबंधित आनुवंशिक रूप से संवर्धित बीजों पर रोक लगाने के लिए निगरानी तंत्र बीज अधिनियम, 1966, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपलब्ध है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्रतिबंधित जीएम बीजों की बिक्री के मामलों में जीएम बीजों के नमूने लेने और अधिसूचित बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच करने के लिए बीज अधिनियम, 1966 की धारा 13 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 का खंड 12 के तहत अधिसूचित बीज निरीक्षक को अधिकृत किया गया है। जीएम बीजों की जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ट्रांसजेनिक क्रॉप मॉनिटरिंग लैब, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, आईसीएआर-नेशनल ब्यूरो ऑफ़ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, कोच्चि और पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर, मोहाली को राष्ट्रीय रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है और आईसीएआर - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर को बीटी कपास की जांच करने के लिए रेफरल प्रयोगशाला घोषित किया गया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रतिबंधित जीएम बीजों की अवैध आवाजाही को रोकने और उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो प्रतिबंधित जीएम बीजों का उत्पादन / बिक्री कर रहे हैं, बीज विधानों के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने संबंधी परामर्शिकाएं जारी की थी।

(ग) और (घ): जी नहीं।

*****